प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 154/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Arun Kumar Add: Kanore, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

। सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कानोड़ , उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 02-12-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 32940270776000 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर 9 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा केवल बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना ही उपलब्ध करवाई गई। बिन्दु संख्या 3 से 9 तक सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 8819327043 दिनांक 07.11.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/154/24/1292–93 दिनांक 08.11.2024 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि I requested information on 9 points. but we have received partial information on only first and second point. I had requested all proceeding information related to my complaint but I only received one report prepared by Patwari, Kanore. In point no. 3 I had requested the map of Khasara no. 974 available with revenue department but no inoformation has beeen provided. From point 4 to 9, I had requested if PWD department has informed or taken permissions from Revenue Department (Tehsildar Office) for cutting trees, taking khatedari land etc. I believe this information pertains to Tehsildar office. If no permissions have been taken from revenue department, then please let us know.

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय से 9 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा मात्र बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है। बिन्दु संख्या 3 से 9 के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा कोई जवाब पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार कानोड़ को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना उसे नियमानुसार निशुल्क 15 दिवस में उपलब्ध करावें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे। साथ ही प्रत्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में नियत समयावधि में वांछित सूचनाएँ नियमानुसार उपलब्ध करावे एवं अपील में भी नियत समय में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कानोड़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर